UPHR010083062022

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट नं०–01, हरदोई।

उपस्थित–प्रीति श्रीवास्तव–द्वितीय,

(एच०जे०एस०)

जे०ओ०कोड–यू०पी० 5989

R.C.A.No.–30/2022

महेश प्रसाद आदि बनाम गया प्रसाद आदि

दिनांक 21.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलकर्तागण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 16 क पर सुना।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 16 क

अपीलकर्तागण द्वारा प्रार्थना पत्र 16 क वास्ते संशोधन मेमो अपील अन्तर्गत आदेश–6 नियम–17 जा०दी०हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कथन किया गया है कि अपीलकर्तागण द्वारा अपील दायर करते समय गलती/भूलवश टाइपिंग की वजह से मेमो अपील के अन्त में इबारत प्रार्थी गया प्रसाद आदि में शब्द "गया प्रसाद" गलत अंकित हो गया है। जबकि उसके स्थान पर शब्द "महेश प्रसाद" होना चाहिए, क्योंकि महेश प्रसाद आदि अपीलकर्तागण ने उत्तरदातागण के खिलाफ अपील दायर की है। अतः प्रार्थना की गई है कि अपील मेमो के अन्त में शब्द प्रार्थी गया प्रसाद आदि में शब्द "प्रार्थी" "गया प्रसाद" काटकर उसके स्थान पर शब्द "प्रार्थीगण" "महेश प्रसाद" अंकित कर दिया जावे।

उत्तरदातागण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए, किन्तु उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है। प्रस्तुत संशोधन से प्रथमदृष्टया अपील की प्रकृति बदल नहीं बदल रही है। संशोधन महज औपचारिक है। अतः प्रार्थना पत्र 16 क वास्ते संशोधन मेमो अपील अन्तर्गत आदेश–6 नियम–17 जा०दी० स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 16 क वास्ते संशोधन मेमो अपील अन्तर्गत आदेश–6 नियम–17 जा०दी० स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्तागण आवश्यक संशोधन करें। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 14 क दिनांक 25.03.2025 को पेश हो।

दिनांक 21.03.2025

(प्रीति श्रीवास्तव ।।)

अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या–01,

हरदोई।